न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–69 / 2022 (2022 / 236) वाद पत्र

अनवान

1–ऐजीदेवी पत्नि गोपाल माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन –

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः–23 / 06 / 2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं अन्य खातेदारान के सामलाती खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 715 रकबा 6.42 हैक्ट. जिसमें वादीया का 25 / 297 हिस्सा हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी की नकले वादपत्र के साथ पेश की हैं। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त कृषि आराजियात को वादीया द्वारा क्रय किया गया था उक्त भूमी को क्रय करते समय विक्रयपत्र में वादीया के पति का नाम गोपाल के बजाय घर का नाम गोकलचंद अंकित कर दिया गया जिससे राजस्व रेकॉर्ड में वादीया के पति का नाम गोकल चंद अंकित चला आ रहा हैं। वादीया के पति का सही नाम गोपाल माली ही हैं तथा वादीया के सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार व बच्चों के स्कूल रेकार्ड में वादीया के पति का नाम गोपाल अंकित हैं। ऐजी देवी पत्नी गोकलचंद व ऐजी देवी गोपाल नाम की एक ही महिला वादीया हैं इस नाम की दूसरी कोई महिला नहीं हैं। वादीया के पति का सही नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज नहीं होने से वादीया को अपनी कृषि आराजियात पर ऋण लेने व सरकारी सहायता प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। जिससे ग्राम चारोट की वादग्रस्त कृषि आराजियात के खाता संख्या 28 में वादीया के पति का नाम ऐजीदेवी पत्नी गोकल चंद के बजाय ऐजी देवी पत्नी गोपाल माली करने की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि ग्राम चारोट में खाता संख्या 28 में वादीया के पति का नाम ऐजीदेवी पत्नि गोकलचंद के बजाय ऐजी देवी पत्नि गोपाल माली दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी जारी फरमाई जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में तहसीलदार रायपुर की ओर से प्रकरण में निवेदन किया कि प्रकरण वादीया के नाम संसोधन से सम्बधित है इसमें संशोधन किया जाने पर किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादीया के पति को दो नाम से जाना जाता है गोपाल एवं गोकलचंद। वादीया के पति का नाम बोलचाल की भाषा में गोकलचंद एवं अन्य दस्तावेज गोपाल के नाम से है जिससे वादीया को सरकारी सहायता एवं अन्य कार्य में कठिनाई होती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत खेमाणा की ओर से वादीया के पति का नाम गोपाल माली एवं गोकलचंद माली के नाम से जाना जाता है। ऐजीदेवी पत्नि गोपाल माली व ऐजीदेवी पत्नि गोकलचंद माली निवासी गोविन्दपुरा के नाम की एक ही महिला होकर अन्य महिला नही है और इसके पति के नाम गोपाल माली है जो सही है। वाद के समर्थन में वादीया की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपरोक्त विवरण से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादीया के पति को बोलचाल की भाषा में गोकलचंद एवं अन्य दस्तावेजो में गोपाल दर्ज है जो एक ही व्यक्ति होकर अलग अलग नही है। वादीया के पति का नाम गोपाल एवं गोकलचंद 2 नाम से सरकारी दस्तावेजो होने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि एक ही व्यक्ति ओर एक ही महिला है ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 715 रकबा 6.42 हैक्ट. जिसमें वादीया का 25/297 हिस्सा है भूमि में खातेदार ऐजीदेवी पत्नि गोकलचंद माली के बजाय ऐजीदेवी पत्नि गोपाल माली किया जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/06/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–69 / 2022 (2022 / 236) वाद पत्र

अनवान

1–ऐजीदेवी पत्नि गोपाल माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 715 रकबा 6.42 हैक्ट. जिसमें वादीया का 25 / 297 हिस्सा है भूमि में खातेदार ऐजीदेवी पत्नि गोकलचंद माली के बजाय ऐजीदेवी पत्नि गोपाल माली किया जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा